Shri Nanda: Sir, I introduce† the Bill.

TELEGRAPH WIRES (UNLAWFUL POSSESSION)* AMENDMENT BILL

The Minister of Transport and Communications (Dr. P. Subbarayan): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950."

The motion was adopted.

Dr. P. Subbarayan: Sir, I introduce the Bill.

12.47 hrs.

RESOLUTION *RE*: SUGAR (REGULATION OF PRODUCTION) ORDINANCE AND SUGAR (REGULATION OF PRODUCTION) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following Resolution moved by Shri Braj Raj Singh, namely:—

"This House disapproves of the Sugar (Regulation of Production) Ordinance 1961 (Ordinance No. 3 of 1961) promulgated by the President on the 29th September, 1961,"

and the motion—

"That the Bill to provide for the regulation of production of sugar in the interests of the general public and for the levy and collection of a special excise duty on sugar produced by a factory in excess of the quota fixed for the purpose, be taken into consideration."

Shri Jhunjhunwala was in possession of the House and he had taken 10 minutes. He will now continue.

Shrimati Renuka Ray (Malda): May I ask a question, Sir? We were under the impression that the Resolution on Public Undertakings was to come up today. It was deferred till today. I would like to know why it is not on the agenda.

Mr. Speaker: The hon. Minister, Shri Shah saw me and told me that the draft is still under consideration and would be finalised shortly. I shall certainly see that sufficient time is given to the hon. Members to study the draft before the discussion commences. Shri Jhunjhunwala.

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur): Mr. Speaker, Sir, I was submitting that the remedy suggested by the hon. Minister in order to reduce production of sugar is not going to help the objective which the hon. Minister has in view. It will increase the price of sugar and will, naturally, lead to less consumption of sugar. It should be such as will reduce the cost of production and make cheap sugar go into the market so that ther may be more consumption. I was not able to quite follow the hon. Minister. The remedy suggested by him may be right; but I think that instead of realising the objective it will put us in a vicious circle.

With these remarks I would request the hon. Minister to make it clear as to how this will solve the problem.

---

†Introduced with the recommendation of the President.

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2,

Mr. Speaker: I think there are no other hon. Member who desire to speak.

Some Hon. Members *rose—*

Mr. Speaker: Let me know who are all the hon. Members who want to speak.

Shri Vajpayee (Balrampur): Sir, I had already given my name. The discussion may be extended up to 2-30 p.m.

There are no amendments.

Mr. Speaker: We go on till 2-30. I will call the third reading at 2-15. There is another motion also Shri Datar's motion. How long will the discussion on the Public Service Commission Report take?

Shri Braj Raj Singh: About five hours; that can only be taken next day. May I suggest that this may be continued up to 2-30 and Shri D. C. Sharma's motion may then be taken up?

Mr. Speaker: All right. Then the discussion on the UPSC report will be passed over. Shri Vajpayee.

12.50 hrs.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

Shri Vajpayee *rose—*

Pandit D. N. Tiwari (Kesaria): Sir. . .

Shri Vajpayee: I have been called by the hon. Speaker. Shall I speak?

Mr. Chairman: Yes.

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, खाद्य मंत्री जी के भाषण से दो बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। पहली तो यह कि यदि गन्ने के क्षेत्र को कर्यादित करना है तो इसकी व्यवस्था गन्ने की बुवाई होने से पहले क्यों नहीं की गई। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि हम गन्ना उत्पादकों को और अधिक खेती योग्य भूमि पर गन्ना पैदा करने की असर्यादित छूट नहीं दे सकते। कहीं न कहीं कोई मर्यादा निश्चित करनी होगी। इसलिये असल प्रश्न इस प्रकार की रोक लगाने के सिद्धान्त का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या कृषि और खाद्य मंत्रालय ने व्यावहारिक दृष्टि से उस समय यह कदम उठाया है जब उठाना चाहिये था? आज हालत यह है कि गन्ना खतों में खड़ा है और इस आदेश से किसान के मन में बड़ी चिन्ता पैदा हो गई है। मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ खाद्य और कृषि मंत्री जी के मुंह से कि जो कमी होगी वह चार फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। जहां तक मेरे क्षेत्र का प्रश्न है, वहां दो चीनी मिलें हैं, एक बलरामपुर में और एक तुलसीपुर में। तुलसीपुर चीनी मिल के सम्बन्ध में मुझे जो आंकड़े मिले हैं, उन से पता लगता है कि पिछले साल तुलसीपुर की चीनी मिल ने ४५ लाख मन गन्ना पेरा था लेकिन इस बार उसे ३६ लाख मन गन्ना पेरने के लिये कहा जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि कटौती दस फीसदी की नहीं होगी, बल्कि २० फीसदी की होगी। माननीय मंत्री महोदय इन आंकड़ों के बारे में उत्तर प्रदेश शासन से पता लगा सकते हैं या सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभापति महोदय, अब अगर किसी मिल में गन्ने को पेरने में बीस फीसदी की कटौती होने वाली है तो फिर गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है उस पर इसका क्या असर होगा, इस बात का भी विचार हो जाना चाहिये।

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): If there is anything outside ten per cent, it is outside the scope of this Bill.

Shri Vajpayee: How can it be outside the scope of the Bill? It is for the Government to explain how a particular sugar factory had been asked not to crush cane beyond a certain limit.

Shri S. K. Patil: Beyond ten per cent? If it is more than ten per cent there is evidently mistake; that can be gone into and corrected.

श्री वाजपेयी : दूसरी बात जो खाद्य मंत्री जी ने कही यह है कि अगर प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाती तो यह समस्या खड़ी नहीं होती । लेकिन चूंकि गन्ने का क्षेत्र बढ़ गया है इसलिये हम संकट में हैं । मेरा निवेदन है कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने का सवाल यहां खड़ा करना ठीक नहीं है । इस का कारण यह है अगर प्रति एकड़ पदावार बढ़ जाती तो शक्कर अधिक पैदा होने का संकट हमारे सामने खड़ा रहता । किसान चाहे प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाते या चाहे इस का क्षेत्र बढ़ाते समस्या गन्ने की अधिक पैदावार से उत्पन्न हुई है । पैदावार किस तरीके से की गई है, यह प्रश्न मुख्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस संदर्भ में इस प्रश्न को उठाना कोई अर्थ नहीं रखता है क्योंकि गन्ना अगर अधिक पदा होता है, चाहे प्रति एकड़ पैदावार बढ़ने से होता हो या क्षेत्रफल बढ़ने से' मिलों में गन्ना अधिक जाता है और चीनी उससे अधिक बनती है और चूंकि देश में चीनी की खपत कम है, इसलिये समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहती है इस वास्ते मैं समझ नहीं पाया हूं कि खाद्य मंत्री जी ने प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के सवाल को इस विवाद में क्यों खड़ा किया है। समस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से सम्बन्ध रखती है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया और क्षेत्रफल को बढ़ने से रोक दिया और उस सूरत में किसान ने पैदावार के अच्छे साधन अपना कर जितनी जमीन में वह गन्ना पैदा करता है, उस में ही अधिक गन्ना पैदार कर लिया तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी ? मेरा निवेदन है कि यह सावल घनी खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है। सवाल तो यह है कि जितना गन्ना चीनी में खप सकता है, आज वह उस सीमा पर पहुंच गया है । अब हमें विचार करना चाहिये कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये जा सकते हैं . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : हलवा खाओ।

श्री वाजपेयी : जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है । इसका हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिये कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद बढ़ नहीं सकती है। गांवों में जा कर हम देखें, बहुत से लोगों को चीनी खाने के लिये नहीं मिलती है । वे चीनी खाना भी चाहते हैं, मगर चीनी के दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर वे चीनी खरीद नहीं सकते हैं ।

अभी कंट्रोल हटा है । चीनी के दाम भी कुछ कम हुए हैं । इसके फलस्वरूप चीनी की खपत बढ़ी है । मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के समय में जब ब्याह शादियों का मौका था, अगर यह कंट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत और भी बढ़ सकती थी । इस वास्ते इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि चीनी की खपत बढ़ाई जाये। इस के लिये मैं समझता हूं एकसाइज डयूटी में कुछ कमी करने के सवाल पर सरकार को विचार करना होगा । कुछ दिनों से समाचारपत्रों में इस तरह की बात छप रही है कि सरकार चीनी पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बारे में विचार कर रही है । अगर ऐसा कोई विचार है तो मैं उसका स्वागत करूंगा । मैं आशा करता हूं कि खाद्य मंत्री जी इस वाद विवाद का उत्तर देते समय इस बारे में कोई घोषणा करेंगे, कोई स्पष्टीकरण करेंगे कि क्या सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करने के बारे में विचार कर रही है ।

इस सम्बन्ध में एक बात का और भी

हमें स्मरण रखना चाहिये। गन्ना बोने के लिये किसान सहज रूप से तैयार होता है, यह बात तो ठीक है। इस का कारण यह है कि गन्ने से उसे प्राप्ति अधिक होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जिन में किसान अगर गन्ना न बोएगा तो वह अपनी आजीविका के लिये भी आवश्यक साधन नहीं जुटा सकेगा। उदाहरण के लिये तराई का इलाका है। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां गत तीन वर्ष से गेहूं की धान की, चावल की फसल बरबाद हो रही है, कभी बाढ़ से, कभी सूखे से और कभी ओले गिरने से। उस क्षेत्र में अगर किसान गन्ना न बोएगा तो फिर किसान जीवित रहने के लिये भी सामग्री न जुटा सकेगा। मुझे पता लगा है कि माननीय मंत्री जी ने हिबार के गन्ना उत्पादकों को इस तरह का आश्वासन दिया है कि क्योंकि वहां बाढ़ आ गई थी इसलिये उनका गन्ना खेत में खड़ा रहे, इस प्रकार की स्थिति न होने दी जायेगी। मेरा उनसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जिन पूर्वी जिलों में बाढ़ आई थी और किसानों को उससे अपार क्षति हुई है, उनके सम्बन्ध में भी विशेष प्रयत्न करके इस बात की कोशिश की जाये कि उनका सारा गन्ना इस बार बिक जाये।

जहां तक खण्डसारी और गुड़ बनाने का सवाल है, आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार खण्डसारी के सम्बन्ध में टैक्स लगाने की ऐसी नीति को अपनाने को भूल करती रही है जिस के कारण खण्डसारी उद्योग को बड़ा धक्का लगा है। लेकिन अब हम फिर उसी खंडसारी उद्योग की शरण में जा रहे हैं। मेरा निवेदन है खंडसारी उद्योग के विकास के लिये जितना प्रयत्न होना चाहिये नहीं किया गया। लेकिन एक बड़ी कठिनाई यह है कि यह गन्ना अधिक पैदा हो रहा है उन क्षेत्रों में जहां मिलें लगी हुई हैं और नियम के अनुसार मिलों के आसपास के क्षेत्र में खंडसारी उद्योग खड़ा नहीं किया जा सकता। अब नया संकट पैदा हो गया है। किसान का गन्ना खरीदा नहीं जायेगा। खंडसारी वह बना नहीं सकते। तो जो गन्ने की बढ़ी हुई पैदावार है उसे केवल गुड़ बनाने में लगाया जा सके इसकी कोई सम्भावना नहीं दिखायी देती। मैं अन्य क्षेत्रों की नहीं कह सकता लेकिन मैं ने अपने क्षेत्र में व्यापक दौरा करके इस बात को अनुभव किया है कि अगर चीनी की मिलों ने गन्ना न खरीदा और गन्ना खेतों में खड़ा रहा तो यह आशा कि किसान उस गन्ने का गुड़ बना लेगा पूरी नहीं होगी। किसान को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इस सदन में यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है कि सरकार चीनी, खंडसारी और गुड़ के उत्पादन की कोई समन्वित योजना बनाये सम्पूर्ण देश के लिये जिसमें योग्य विचार करके चीनी का, खंडसारी का और गुड़ का स्थान नियत किया जाय। लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। पिछले साल इस सम्भावना को देख कर कि गन्ना अधिक पैदा होगा, गुड़ बनाने के लिये किसानों को जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये था नहीं दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले साल जितना गुड़ बनना चाहिये था नहीं बना, बाजार में गुड़ बहुत मंहगा बिका। किसानों में यह प्रवृत्ति है कि वे अपना गन्ना चीनी मिलों को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसानों को समय पर गुड़ उत्पादन के लिये सहायता मिले और उनमें विश्वास हो कि गुड़ बनायेंगे तो बाजार में अच्छी कीमत पर बिकेगा तो किसान गुड़ बनाने के लिये तैयार हो सकता है, लेनिक आज की स्थिति में किसानों से यह आशा करना कि वह सारा गन्ना गुड़ बनाने में खर्च कर सकेंगे उचित नहीं होगा। यह आशा पूरी नहीं होगी।

मेरा निवेदन है कि यह जो खाद्य मंत्री महोदय ने चार फीसदी की बात कही है व

[श्री वाजपेयी]

किस तरह से हर एक चीनी मिल पर लागू होती है इसका विचार होना चाहिये। मुझे पीलीभीत की चीनी मिल से खबर मिली है कि चीनी मिल के आसपास जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं वह तो अब चीनी मिल में गन्ना नहीं दे सकेंगे। मगर सरकार का जो फार्म तराई में है उसका गन्ना पीलीभीत की चीनी मिल में लाया जायेगा। तो कैसे न उन किसानों में असंतोष पैदा न होगा। सरकार का यदि फार्म खड़ा है तो किसानों के हितों को संकट में डाल कर इस फार्म का गन्ना पीलीभीत की मिल में खरीद लिया जाये इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। किसानों के हितों का ध्यान रख कर चलना चाहिये। लेकिन यह आदेश इस तरह लगाया गया है कि इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। इसकी खाद्य मंत्री महोदय ने न पुष्टि की है और न इस का खंडन किया है। तो मेरा निवेदन है कि जो अधिकार सरकार प्राप्त कर रही है उसको ठीक तरह से काम में नहीं लाया जायेगा इस बात की आशंका है। इस बात का विचार करना चाहिये कि एक एक चीनी मिल कितने किसानों का गन्ना खरीदेगी, कितना गन्ना बाकी बच रहेगा, और फिर उस गन्ने को पेलने के लिये सिकानों के पास साधन हैं या नहीं, और इसके लिये अगर उनको सहायता देने की आवश्यकता हो तो वह सहायता दी जाय, इस प्रश्न का विचार केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये। प्रान्तीय सरकारों पर यह मामला छोड़ने से काम नहीं चलेगा। वहां चीनी में कुछ राजनीती काम करती है। केन्द्र के लिये मैं यह नहीं कह सकता। लेकिन अगर सब चीजें प्रांतों पर छोड़ दी जायेंगी तो गन्ना पैदा करने वाले किसानों और चीनी खाने वाले उपभोक्ताओं के हितों की अवहेलना करके राजनीतिक कारणों से चीनी मिलों को ऐसी सुविधायें दी जायेंगी कि अन्ततोगत्वा जनता के हितों की हानि होगी। इस लिये म खाद्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इसबात को स्पष्ट करें कि यह अर्डिनेन्स गन्ना बोनों से पहले जारी क्यों नहीं किया गया, पहले से किसानों को सूचना क्यों नहीं दी गयी, सरकार ने दूरदर्शिता से काम क्यों नहीं लिया, और सरकार की गलती की गन्ना पैदा करने वाले किसान सजा भुगतें यह तो उचित नहीं कहा जा सकता। गन्ना पदा हो गया है, अगर गन्ना खेत में पड़ा रहा और चीनी मिलों ने उसको न खरीदा तो गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्र में असंतोष की व्यापक लहर फैलेगी और वह किसी के लिये ठीक नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि सत्तारूढ़ दल की भी इस तरह की स्थिति का पदा किया जाना पसन्द करेगा। मगर शासन का आदेश ऐसा है कि किसान में इस बात की आशंका व्याप्त हो गयी है। और मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह यह ४ प्रतिशत की कटौती की बात किस आधार पर करते हैं। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रान्तों से अलग अलग पूछा है कि क्या हर एक क्षेत्र का पृथक रूप से विचार किया जायेगा। मैं चाहूंगा कि यह आश्वासन दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जहां बाढ़ आई थी वहां किसी भी किसान का गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहने दिया जायेगा और उसको पेलने की पूरी व्यवस्था होगी।

Shri S. K. Patil: Mr. Chairman, I would like to clarify one point. The hon. Member quoted certain figures pertaining to the Tulsipur factory. Last year the factory had produced 14,966 metric tons of sugar. This year it has been asked to produce 13,469 metric tons, that is less 10 per cent to which I was referring.

Shri Vajpayee: Is it not a fact that last year the factory crushed 45 lakh maunds of cane while this year they have been asked to crush only 36 lakh maunds?

Shri S. K. Patil: We are not aware how much cane is crushed, because the sucrose contents varies. We go by

the quantity of sugar produced. It is not our intention to go beyond 10 per cent cut. The figures I have quoted are exactly ten per cent.

Shri Tyagi: There must be something wrong.

Shri S. K. Patil: I also think there seems to be something wrong. If the hon. Member convinces that some wrong has been done, I am prepared to look into it.

Shri Tyagi: There cannot be so much of variation in the figures as quoted by the hon. Member and as read out by the Hon. Minister.

Shri Vajpayee: These were figures given by the factory; I have not got my own figures.

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : सभापति महोदय, कल से यह अध्यादेश पर बहस चल रही है और मैं आश्चर्य से देख रहा था कि इस समस्या के समाधान की तरफ न तो मवर का ध्यान था और न जो आनरेबल सदस्य मेरे पहले बोल चुके हैं उनको इसका ध्यान है । मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समस्या से कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के लिये वे लोग बोल रहे हैं । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस लाभ को छोड़ और समस्या के वास्तविक हल पर अधिक ध्यान दें ।

अनरेबिल मूवर श्री ब्रजराज सिंह ने कहा कि दूसरे देशों में इतनी अधिक खपत होती है और लोग इतनी ज्यादा चीनी खाते हैं । लेकिन इन बातों को तो यहां पर कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि आज जो स्थिति पैदा हो गयी है उसका कैसे समाधान किया जाये ।

पहले जब यह अध्यादेश जारी हुआ तो लोगों में बेचनी पदा हुई और लोग घबराये, लेकिन कल जो आरेबिल मिनिस्टर का भाषण हुआ उससे कुछ आशा की झलक दिखाई देती है । वह यह नहीं चाहते कि गन्ना लोगों के खेतों में रहे । वह अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि गन्ना बिक जाये और किसानों को कोई नुकसान न हो । हमारी आशा है कि ऐसा हो सकेगा और विरोधी दल के सदस्यों को ऐसी ही आशा होनी चाहिये ।

श्री वाजपेयी : ऐसी ही आशा है ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं मानता हूं कि मन से तो वह भी यही चाहते हैं लेकिन वह कुछ ऐसी बातें इस लिये करते हैं कि लोगों में सरकार के प्रति विरोध पैदा हो । हम में और उनमें यही अन्तर है ।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, विरोधी दल पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है । इसका क्या अर्थ है ?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को यह देखना है कि किस इलाके में कितना गन्ना पदा होता है और कहां कहां उसको रोकना है । ऐसे बहुत से प्रांत हैं जहां गन्ना पैदा हो रहा है । लेकिन सरकार को देखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कहां अधिक गन्ना पदा हो रहा है । यह देश बहुत बड़ा है और सब जगह एक सी पोजीशन नहीं है । ऐसा न हो कि सब को एक ही डंडे से एक ही लाठी से मार दें । सरकार को यह देखना चाहिये कि किस का कसूर है और किस का कसूर नहीं है किस ने अधिक पैदा किया और किस ने अधिक पैदा नहीं किया । जहां तक मेरे अपने प्रान्त बिहार का सम्बन्ध है आप ने बिहार के वास्ते ४ लाख टन का कोटा फिक्स किया था जब कि वहां पर उन्होंने केवल ३ लाख ८० हजार टन ही पैदा किया जिसका कि मतलब यह हुआ कि अभी भी उसके कोटे के अनुसार २० हजार टन गन्ना और अधिक पैदा करने की जरूरत है । मेरा कहना यह है कि हर एक क्षेत्र

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

के लिये अलग अलग दृष्टिकोण होना चाहिये। ऐसा न हो कि पहले जमाने में जैसा कि हमने एक राजा के बारे में सुना था कि उसके राज में किसी आदमी ने एक व्यक्ति को जान से मार डाला था तो चूंकि फांसी के तख्ते में उस मुजरिम की गरदन नहीं फंस पाती थी तो पकड़ कर किसी अन्य पुरुष को गरदन अटका दो। ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार को पहले यह देखना चाहिये कि किस क्षेत्र में कितना पदा हो रहा है और उस क्षेत्र के लिये जो कोटा आप के द्वारा निर्धारित हुआ है उस तक उसको पैदा करने की छूट दी जाये।

मैं बिहार और खास कर उत्तरी बिहार की बात कह रहा हूं जहां कि गन्ने की खेती के अलावा किसानों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें और कुछ पैसा कमा सकें। यह शुगर इंडस्ट्री ही उत्तरी बिहार के किसानों का एक मात्र आधार है जिससे कि उनको पैसा मिलता है। अगर वहां के किसानों के लिये भी आप गन्ने की इस तरह की कैद रहने देते हैं तो वे बर्बाद हो जायेंगे। एक कहावत है कि दुःख कभी अकेला नहीं आता है जब आता है तो सब ओर से आता है। यह कहावत हमारे बिहार के किसानों के साथ चरितार्थ हुआ है। गत सितम्बर मास में वहां पर एक भीषण बाढ़ आई और एक बाढ़ नहीं बल्कि तीन, तीन बार वहां पर बाढ़ें आईं जिसके फलस्वरूप लोग बर्बाद हो गये। आज उनके घर फिर से बनाने की समस्या है और उनको खिलाने की समस्या है। उनका आगे जीवन कैसे चले उसको ठीक करने की समस्या है। आज उनके खेतों में जो गन्ना तैयार खड़ा है यदि उसको न उठाया जायेगा तो सरकार को उन्हें बसाने में ज्यादा दिक्कत आयेगी और उसके वास्ते ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा बिहार का कोई कसूर नहीं। ३ लाख ८० हजार टन गन्ना पैदा हुआ है जब कि कोटे के मुताबिक २० हजार टन वह अभी और पैदा कर सकते हैं। इससे अधिक वहां पर गन्ना पैदा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि उसको आप इस बिल में क्यों समेट रहे हैं। बिहार को तो इस बंदिश से छूट मिलनी चाहिये। यह क्या इंसाफ हुआ? हमने आप की बात मानी और उसके मुताबिक हम चले लेकिन यह दैंड आप हमको भी देना चाहते हैं? यह कोई इंसाफ की बात नहीं है। मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिये कि जो प्रांत आपके नियम के मुताबिक काम कर रहा है उस पर आप यह जुल्म क्यों ढा रहे हैं? उसको तो कम से कम आप को इस कैद में नहीं लाना चाहिये।

अब मान लीजिये कि महाराष्ट्र या दक्षिण के प्रांत जहां कि गन्ना ज्यादा न हो, सीमित मात्रा में पैदा होता हो वहां आप यह आदेश क्यों जारी करें। जैसा कि कल मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बतलाया था मुझे इसका भरोसा है कि वह इन चीजों को देखेंगे कि किसी किसान का गन्ना खेत में पड़ा न रह जाये। यह आगे के लिये रुकावट है जिसको कि वह लागू करना चाहते हैं कुछ नियम लागू करना चाहते हैं ताकि आगे लोग सीमित मात्रा से अधिक गन्ना न बो सकें। मैं इससे इंकार नहीं करता कि सरकार की यह नीयत और मंशा अच्छी है लेकिन जैसा कि और लोगों ने भी कहा यह नियम समय के बाद जारी किया गया है। यह आज से एक वर्ष पहले होना चाहिये था जब कि बुवाई का सीजन था। उसके पहले ही इसको जारी होना चाहिये था ताकि किसान लोग उसी के मुताबिक अपने खेतों में गन्ना बोते। अब मालूम नहीं किस वजह से ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल जो भी कारण रहा हो इसमें उन काश्तकारों का तो कोई कसूर है नहीं। इतनी देर के बाद हम जो उन पर नियम लागू कर रहे हैं और उन पर यह बोझ डाल

रहे हैं वह किसी तरह से भी उचित नहीं है। आप के लिये उचित यही है कि इस साल तो जितना गन्ना उनके खेतों में खड़ा है उसको आप ले लें। आगे के लिये अलबत्ता आपने जो नियम बनाया है उसके मुताबिक यदि वह नहीं चलेगा तो वे खुद तकलीफ में पड़ेंगे। लेकिन अब सीइंग सीजन खत्म हो गया है और गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है। वह यदि नहीं उठाया जायेगा तो किसानों की भारी क्षति होगी।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ बाढ़ आई थी लेकिन वह बिहार के समान भीषण नहीं थी। बिहार में तो बाढ़ के फलस्वरूप भयंकर बर्बादी हुई है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने उसके सम्बन्ध में कहा भी था कि उसको बिना देखे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कैसी बर्बादी हुई है। मीलों तक गांव के गांव नष्ट हो गये हैं। अब जाहिर है कि ऐसे स्थानों को और उन स्थानों को जहां कि इतनी बर्बादी नहीं हुई है दोनों को आप बराबर नहीं रख सकते। इसलिये मेरा कहना है कि जगह-जगह देख कर आप इस तरह की कैद लगायें और जहां भयंकर नुकसान हुआ है वहां के लोगों के लिये खास रियायत देने की कोशिश कीजिये।

दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि देश में चीनी की खपत बढ़ाने की कोशिश कीजिये और खपत चीनी की तभी बढ़ सकती है जब लोगों के हाथ में कुछ अधिक पैसा हो। अभी एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि चीनी का मूल्य इतना अधिक होता है कि गांव के लोग उसे खरीद ही नहीं सकते। अब यह एक जनरल एकानोमी का सवाल है जोकि इस मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय का काम नहीं है बल्कि इसके वास्ते तो सारे गवर्नमेंट को जवाबदेही है कि देश के लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारी जाये ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सके। आर्थिक अवस्था सुधारने से इन चीजों की खपत अपने आप बढ़ जायेगी। अब वह तो एक बड़ा सवाल है और वह अकेले इस मंत्रालय से हल होने वाला नहीं है। वह एक दिन में हल नहीं हो सकता है। आज तो आवश्यकता इस बात को देखने की है कि जो गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है उसका क्या किया जाय और उसको कैसे खपाया जाये। अब इसके लिये पहले तो हमने कोई कदम नहीं उठाया और आज इतनी देर बाद जब हम कदम उठा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिये ताकि किसानों को घाटा न पहुंचे और आगे के लिये रोक भी लग जाये। यह जो अध्यादेश जारी हुआ और यह जो बिल आया है उसकी वजह से एक हाट सचिंग हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिये। गवर्नमेंट का जो मकसद है वह आगे चल कर पूरा होगा लेकिन अभी के लिये फिल-हाल हमें कोई ऐसी समुचित व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जहां-जहां भी गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है वह यूं ही खड़ा न रह जाये और तमाम का तमाम बिक जाय। सरकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिये और इसी से यह समस्या हल हो सकती है।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : सभापति महोदय, यह बिल जो हमारे सामने पेश किया गया है इस के सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इससे किसानों का भला होने जा रहा है लेकिन मेरी तो राय यह है कि किसानों के हित के विरोध में यह बिल पेश किया गया है। यह बिल उस समय पेश किया गया है जब कि गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है और उसे मिल में जाना है। अगर यह बिल फरवरी या मार्च के महीने में आया होता और उस वक्त यह कैद लगाई होती कि २० परसेंट गन्ना मिल नहीं पेरेंगी या शुगर के प्रोडक्शन के ऊपर कुछ कैद लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। उस वक्त किसान कम गन्ना बोता और वह दूसरी फसलों की तरफ

[श्री मोहन स्वरुप]

ज्यादा ध्यान देता लेकिन आप यह बिल एक ऐसे वक्त में लाये हैं जबकि किसान के सामने यह समस्या मुंह बाये खड़ी है कि उसका गन्ना जो खेत में खड़ा है उसको वह कैसे खपाये ।

जहां तक खंडसारी और कोल्हू व बैल चलाने वालों का ताल्लुक है उन पर वैसे ही काफी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ड्यूटी लगी हुई है और उनके हौसले पस्त हैं। वह काम करने में हिचकते हैं । अभी पिछले साल खंडसारी उद्योग में काम करने वाले बहुत से लोगों ने बताया कि उनको घाटा हुआ । खंडसारी उद्योग में लगे हुए व्यक्ति गन्ने का काम करते हिचकिचा रहे हैं और दूसरी तरफ खेतों में गन्ना खड़ा है और किसान परेशान हो रहे हैं कि उन के गन्ने का क्या बनेगा । चीनी मिल कह रही हैं कि हम गन्ने के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते कि क्या होगा । केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते कि गन्ने का क्या होगा । इस तरीके की बात हमारे सामने हैं ।

यह गन्ने का सवाल खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है । यहां के करीब ३६००० ग्रामों में २० लाख परिवार ऐसे हैं जोकि गन्ने से सम्बन्ध रखते हैं और गन्ना बोते हैं । सन् १९५७–५८ में लगभग ३० लाख १७ हजार एकड़ रकबा गन्ने की काश्त में था जोकि अब बढ़ गया होगा । गन्ने की जो इतनी बड़ी समस्या उत्तरप्रदेश के सामने है उसको सरकार यूं ही टाल देना चाहती है और किसानों के साथ उसकी कोई हमदर्दी नहीं आती है । पिछले सेशन में मंत्री जी ने कहा था कि किसानों को कुछ कुर्बानी करनी चाहिये । उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों के गन्ने की जो कीमत है उस में कमी होनी चाहिये । मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी का यह इरादा था कि चालू सीजन में ही गन्ने का भाव कम कर दिया जाये, लेकिन इलैक्शन की वजह से—कांग्रेस पार्टी को वोट लेने हैं —गन्ने का दाम इस सीजन में कम नहीं किया गया ।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय सदस्य की पार्टी को वोट नहीं लेने हैं ?

श्री मोहन स्वरुप । हमने भी लेने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ज्यादा लेने हैं ।

हम देखते हैं कि जब इलैक्शन आता है तो किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, किसान अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इलैक्शन के बाद किसान के कपड़ों में बदबू आने लग जाती है, वह बुरा हो जाता है । १९६२ तक तो किसान अच्छा रहेगा । उस को गोद में उठाया जायेगा और गले से चिपकाया जायेगा, लेकिन उस के बाद उस की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी और और उसकी कोई परवाह नहीं की जायेगी ।

हमारे सामने यह बड़ी गम्भीर स्थिति है । मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों को कुर्बानी करनी चाहिए और गन्ने की कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन यह मिल-मालिकों को कुर्बानी करने के लिए नहीं कहते हैं । ऐसे बहुत से मिल-मालिक हैं, जिन की पहले एक मिल थी, लेकिन अब उन्होंने चार-चार मिलें खड़ी कर ली हैं । बड़े मुनाफे उन्होंने उठाये हैं । अभी १९५४–५५ में सरकार ने इस बात को जानने के लिए एक कमेटी बिठाई थी कि एक मन गन्ने की पैदावार पर कितना खर्चा आता है । उस कमेटी की फाइंडिंग्ज यें थीं कि एक मन गन्ना पैदा करने में एक रुपया चार आने की लागत आती है । किसानों को मुश्किल से एक दो आने कार्टेज चुकाने के बाद मिलता है । इस के अलावा मजदूरी भी बढ़ रही है । लगान का भी सवाल है, पहले

उत्तर प्रदेश सरकार ने आबपाशी में तीन आने फ़ी रुपया कटौती की थी । अब गुप्ता जी को सरकार ने आबपाशी भी पूरी कर दी है । इस तरह गन्ने का खर्चा तो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ़ सरकार कहती है कि उस की कीमत कम होनी चाहिए । आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि जब कि खुश्क लकड़ी, जलाने की लकड़ी की कीमत ढाई तीन रुपये मन होती है, वहां गन्ने की, जिस में सुक्रोस कन्टेन्ट होता है, कीमत एक रुपया दस आने मन है । इस कामतलब तो यह है कि लकड़ी गन्ने से अच्छी है ।

गन्ने की शूगर पर मिल का करीब २८ रुपये फ़ी मन खर्च आता है और शूगर की कीमत उस को मिलती है ३८ रुपये फ़ी मन । यह भी बहुत बड़ा मुनाफ़ा है। साउथ में बम्बई की तरफ़ जो शूगर भेजी जाती है, उस की कीमत ११४ रुपये पर बैग होती है, जब कि हमारे यहां उस की कीमत १०४ रुपये पर बैग होती है । इस से मिल मालिक बड़ा फायदा उठाते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कीमतों में जो यह डिस्पैरिटी है, उस को दूर किया जाना चाहिए । मिल-मालिक यह कहते हैं कि साउथ में शूगर ले जाने के लिए काटेज का बहुत भारी खर्चा होता है, लेकिन वास्तव में इतना खर्चा नहीं है । यह मुनाफ़ा खोरी खत्म होनी चाहिए और यह रुपया सरकारी खजाने में जाना चाहिए ।

१९५० से १९६० तक मिल-मालिकों को एक रुपया फ़ी मन मुनाफ़ा मिलता था, जब कि उस के बाद से २ रुपये ७० नये पैसे मिलता है । अब टैरिफ़ बोर्ड की रिपोर्ट में १ रुपया ३३ नये पैसे कास्ट आफ़ मैनुफैक्चरिंग और बढ़ा दिया गया है । इस तरह से मिल मालिकों को कुल मिला कर चार रुपये तीन नये पैसे का मुनाफ़ा एलाऊ कर दिया गया है । इतना जबर्दस्त मुनाफ़ा मिल-मालिक उठा रहे हैं, लेकिन इस के बावजूद उन को हर वक्त शिकायत और गिला है कि हमारे पास शूगर भरी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि शूगर आखिर सड़ नहीं जाती है । मंत्री महोदय ने कहा कि वह एक पैरिशेबिल गुड है । मैं समझता हूं कि उस में मायस्ट्यर भले ही आ जाये, लेकिन वह सड़ने वाली और खराब होने वाली चीज नहीं है और वह तीन चार बरस रह सकती है । लेकिन अगर शूगर भरी भी है, तो इस में गन्ने के उत्पादकों का क्या कसूर है ? मिल-मालिकों ने इतना मुनाफ़ा उठाया है । अब अगर एक दो बरस बन्द रहे, तो क्या फ़र्क पड़ता है ? और फ़र्क पड़े या न पड़े, इस में किसानों का क्या कुसूर है ?

सरकार ने एक केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला हुआ है, जो कि खाद वगैरह की व्यवस्था करता है, गन्ने की वैरायटीज के विकास का प्रबन्ध करता है । प्रोडक्शन बढ़ाना उस का उद्देश्य बताया जाता है, लेकिन उस ने अभी तक यील्ड बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया है । हम देखते हैं कि जावा, हवाई और क्यूबा में एक एकड़ में ६ टन शूगर होती है, जब कि हमारे यहां सिर्फ़ एक डेढ़ टन तक होती है । यील्ड बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ़ से कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही कोई सुझाव है । खेती के सम्बन्ध में सरकार की कोई व्यापक योजना नहीं है । हां, इंडस्ट्री के सम्बन्ध में है । मैं ने बार-बार सरकार का ध्यान दिलाया है कि यह देश एक खेतिहर देश है और यहां पर खेती के बारे में कोई वाजेह पालिसी और प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन वह नहीं है । रबी आन्दोलन, खरीफ़ आन्दोलन चलाये जाते हैं और खाद के गड्ढे खोदे जाते हैं, लेकिन खेती के विकास के लिए कोई ऐसी व्यापक योजना नहीं है कि खेती का स्ट्रक्चर कैसा हो, किसान क्या करें और गवनमेंट क्या करने जा रही है । हम देखते हैं कि इस देश में किसान के साथ स्टैपमदरली ट्रीटमेंट होता है । उस के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस समाज का अंश नहीं है, बल्कि आकाश से गिर पड़ा है और उस की तरफ़ तवज्जह देने की जरूरत नहीं समझी जाती है । जैसा कि मैंने कहा है, इलैक्शन के वक्त तो किसान अच्छा हो जाता है, लेकिन उस के बाद वह बुरा हो जाता है ।

[श्री मोहन स्वरुप]

रिकवरी बढ़ाने की तरफ़ भी सरकार का ध्यान नहीं है । १९३४–३५ में १५.२ टन पर-एकड़ की यील्ड गन्ने की थी, जो कि अब घट गई है और १३.७ टन हो गई है । रिसेंट स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि वह घट कर १३ टन फ़ी एकड़ रह गई है । पैदावार और रिकवरी घट रही हैं, लेकिन उन को बढ़ाने की तरफ़ सरकार का कोई ध्यान नहीं है ।

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मिल-मालिक बड़ी मुसीबत में हैं । मेरी कांस्टाट्एन्सी में एक मिल पहले से मौजूद है और एक खुलने जा रहा है । मुझे मालूम है कि पोलीभीत की शुगर मिल में किसानों का लगभग बीस पच्चीस लाख रुपया बाकी है, लेकिन उस तरफ न तो सरकार और न ही केन डिपार्टमेंट तवज्जह देता है । किसान अजीब मुसीबत में हैं । उन्होंने मिलों में गन्ना डाल दिया है, लेकिन उस का मूल्य उन को नहीं मिला है । इस के अलावा उन के खेतों में जो गन्ना है, उस की पिराई की कोई शक्ल नहीं है ।

इस स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से कैसे काम चलेगा और किसानों की मुसीबत कैसे रफ़ा होगी । अगले साल चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त किसानों की गन्ने का फ़सल खड़ी हुई है । सरकार का फ़र्ज है कि वह उस को डालने के लिए इन्तजाम करे और इस सिलसिले में केन डिपार्टमेंट और सूबों की सरकारों को इस तरह के डायरेक्टिव दे कि जो गन्ना इस साल खड़ा है, वह मिलों मे ले लिया जाये और उस का मूल्य किसानों को मिल जाये । अगले साल जब सोइंग का समय आयेगा, १५ फरवरी से गन्ना बोने का समय आता है, उस वक्त सरकार कह दे कि गन्ने को फ़सल कम होनी चाहिए । जब किसान यह समझेगा कि गन्ना नहीं पिराया जायेगा, मिलों को नहीं जायेगा, तो वे स्वाहमख्वाह पैदावार कम कर देंगे । इस तरह से एकड़ेज कम हो जायेगा ।

गवर्नमेंट का यह कहना बिल्कुल ग़लत है कि एकड़ेज बढ़ रहा है । मेरे पास जो फ़िगर्ज हैं, उन से मालूम होता है कि १९५९–६० में ५१,७८ हजार एकड़ रकबा था और १९६०–६१ में ५१,५७ हजार एकड़ रह गया । इस से साफ़ जाहिर है कि रकबा कम हुआ है, जब कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रकबा बढ़ गया है । समझ में नहीं आता कि वह कहां के फ़िगर्ज कोट कर रहे हैं ।

यह कहना कि गन्ना ज्यादा बोया जाता है एक मजाक है । तराई में ऐसे इलाके हैं, जहां कोई फ़सल अच्छी तरह से नहीं होता है । गेहूं वहां अच्छा नहीं होता है, धान बोया जाता है लेकिन बाढ़ से वह तबाह और बर्बाद हो जाता है, वर्षा कम होता है तो सूख जाता है । इस वास्ते गन्ना ही ऐसी फ़सल है जिस पर सैलाब का असर अधिक नहीं होता है, ओले का या अधिक पानी का असर ज्यादा नहीं पड़ता है । इससे उन लोगों को कुछ पैसा भी मिल जाता है और उनके आंसू पुंछ जाते हैं । अगर वह गेहूं बोते हैं तो तैयार होने पर कभी-कभी ओला गिर जाता है और समस्त फ़सल खत्म हो जाती है । गन्ने की फसल कैश क्राप है और उनको इससे कुछ पैसा मिल जाता है । सरकार इसको अच्छा नहीं समझती है कि उनको पैसा मिले । सरकार तो यही चाहती मालूम देती है कि किसान भूखों मरते रहें, फाका करता रहें और तबाह और बर्बाद होता रहे । केवल गन्ना ही नहीं बोया जाता है दूसरे सीरियल्ज भी बोए जाते हैं । गन्ने के मुकाबले में सीरियल्ज कहीं अधिक बोए जाते हैं । गवर्नमेंट के ही स्टेटिसटिक्स में यह बताया गया है कि सारे देश की खेती वाली भूमि में केवल एक प्वाइंट कुछ प्रतिशत में गन्ने की खेती होती है और बाकी में दूसरे सीरियल्ज की खेती होती है । यह इलजाम लगाना कि गन्ना ज्यादा बोया जाता है, गलत है और यह कोई माने नहीं रखता है ।

जहां तक शक्कर का सम्बन्ध है, जब भी पार्लियामेंट का सैशन होता है, इसका जिक्र आता है, इस पर तजकरा होता है। मैं चाहता हूं कि इसका कोई मुस्तकिल हल सोचा जाये शक्कर की कीमतें घटनी चाहियें। वे आज अधिक हैं। खुशी की बात है कि कंट्रोल सरकार ने हटा दिया है। इससे वाकई में शक्कर की कंजम्पशन अधिक होने लगेगी। अगर लोगों को शक्कर न मिले तो वे खायें कहां से? अब उनको शक्कर मिलने लग गई है तो वे खाने भी लग जायेंगे। अगर यह कहा जाता है कि गांवों के लोग शक्कर नहीं खाते हैं तो यह गलत बात है। अगर उनको शक्कर मिले तब तो वे खाएं। सभापति महोदय, आप जानते ही हैं कि जब कंट्रोल था तो दूकानों पर कितनी लम्बी-लम्बी लाइनें शक्कर खरीदने वालों की लग जाया करती थीं। कितने ही घंटे लाइनों में खड़े रहने पर भी लोगों को शक्कर नहीं मिलती थी। लोग शक्कर खाते हैं और जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, मेरे ख्याल में शक्कर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा।

इसी के साथ-साथ हम को दुनिया की मार्किट में अपनी शक्कर को खपाना होगा और इसके लिए मार्किट तलाश करनी होगी। अमरीका की मार्किट हम को मिली थी लेकिन वह भी टैम्पोरेरी मार्किट है। अगर अमरीका का क्यूबा के साथ समझौता हो गया और उसके साथ उसके सम्बन्ध दुरुस्त हो गए तो अमरीका क्यूबा की शूगर लेगा, हिन्दुस्तान की नहीं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट के लिए हमें मुस्तकिल मार्किट की तलाश करनी होगी। पिछले दिनों मैंने एस० टी० सी० के बारे में एक सवाल पूछा था। एस० टी० सी० ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विदेशों को शक्कर का एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने पूछा था कि क्या वजह है कि आप पाकिस्तान से और ईरान से अपना फैसला नहीं कर सके हैं कीमत के बारे में और क्यों झगड़ा पड़ा हुआ है। इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उन देशों ने क्यूबा से फैसला कर लिया और क्यूबा की शूगर लेनी शुरू कर दी। हमको इस काम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिये जो भी बात-चीत हो जल्दी से उसको पूरा करना चाहिये और किसी समझौते पर पहुंचना चाहिये।

रिकवरी और पर एकड़ यील्ड का भी हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिये, उस तरफ भी खास तवज्जह देनी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो शूगर का मसला, गन्ने का मसला हल हो सकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गन्ना जो खेतों में खड़ा हुआ है, उसकी पिराई का बंदोबस्त आपको करना चाहिये।

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Chairman: Shri Ramam. I would request hon. Members to be brief. A large number of hon. Members want to speak on this. I find that hon. Members instead of confining their remarks to five or seven minutes are taking three times that time. I would request them to be brief.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): The debate may be continued tomorrow also.

श्री रामम् (नरसापुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसको देख कर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। हमारे देश में १९५८ तक चीनी की कमी रही है। लेकिन उसके एक दो साल के बाद ही चीनी का उत्पादन ज्यादा होने लग गया और आज हालत यह है कि हम समझने लग गए हैं कि उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है कि इसको खपाया नहीं जा सकता है और हमारे सामने एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं समझता हूं कि हमें इस समस्या की बुनियाद में जाना होगा।

[श्री रामन्]

१९५८ के पहले पांच बरसों में हम को ५० करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज खर्च करके बाहर से चीनी का इम्पोर्ट करना पड़ा है। आज हालत यह हो गई है जैसा कि मन्त्री महोदय बताते हैं कि उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि इसको खपाया नहीं जा सकता है।

जो हमारे देश में चीनी की कमी थी, उसको हम कैसे पूरा कर सके हैं, इस की बात आप सुन लीजिये। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि किसानों को गन्ने के जो भाव दिए जाते थे, उसमें तीन आना प्रति मन की बढ़ोतरी किये जाने के फलस्वरूप और साथ ही साथ मिल मालिकों को भी और कुछ फायदा पहुंचा कर, उत्पादन बढ़ा सकने में वह समर्थ हुए हैं। इस सब का नतीजा यह हुआ है कि दो ही साल में हमारे यहां इतनी चीनी पैदा होने लग गई है कि यह हमारे लिए एक समस्या बन गई है और हमें पता नहीं चलता है कि इसको कैसे डिसपोज आफ किया जाए। माननीय मंत्री जी ने पिछले सैशन में गन्ने के भाव घटाने के लिए एक विधेयक रखा था। सौभाग्यवश उस सैशन में उस प्रपोजल को मदद नहीं मिली।

Shri S. K. Patil: That is not true. He said I brought forward some resolution to decrease the price of cane. Surely, that is not true. I do not know from where he got it.

Shri Mohan Swarup: But you gave a suggestion on the floor of the House.

Shri S. K. Patil: I never gave it. If there is anybody who says that it would not be reduced it is the Minister more than the Members even.

श्री रामन् : मेरे पास अखबार के कटिंग हैं जिस में माननीय मंत्री जी की स्पीच छपी है। माननीय मंत्री जी ने बम्बई में गन्ने के भाव घटाने के बारे में कहा था। इस कटिंग को मैं आप के सामने पेश करने के लिए भी तैयार हूं। इस सदन में भी उस के ऊपर काफी बहस हुई थी। इस को सभापति महोदय आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं।

लेकिन बाद में क्या किया जाता है, इसको आप देखें। उसको घटाने के लिए आर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है और अब एक बिल उसी सम्बन्ध में पेश कर दिया गया है। मेरे खयाल में .....

Shri Goray (Poona): The hon. Member seems to be struggling with the language. We do not understand exactly what the hon. Member wants to say. I think he also finds it difficult. So there is likely to be misunderstanding on both the sides.

श्री रामन् : मेरा ख्याल है कि चीनी तैयार करने के लिए, उसको रेग्युलेट करने के लिए यह बिल लाया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चीनी आज देश में खप नहीं रही है, तो इस का कारण यह है कि चीनी के भाव बहुत ज्यादा हैं, और उनको नीचे लाया जाए। मैं समझता हूं कि आज देश में उत्पादन को कंट्रोल करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन को और बढ़ाया जाए और उस सब की खपत देश में हो सकती है। भारत में सभी लोगों को काफी मात्रा में चीनी नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल में ३०–४० प्रतिशत से ज्यादा आज हमारे देश में लोग चीनी नहीं खाते हैं। ६०–७० फीसदी लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जिन को चीनी नहीं मिलती है। ये लोग चीनी न चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। वे चीनी खाना चाहते हैं लेकिन जिस भाव पर वह बिक रही है, उस भाव पर वे इसे खरीद नहीं सकते हैं। ये लोग चीनी खा सकें इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि चीनी के भाव कम किए जाएं और साथ ही साथ चीनी के उत्पादन को बढ़ाया जाए।

किसान को गन्ने का जो भाव दिया जा रहा है, उसको घटाने की आपको चेष्टा

नहीं करनी चाहिए । जो मुनाफ़ा मिल-मालिकों को जेब में जा रहा है, उसको आपको कम करना चाहिए । पिछले सैशन में भी इसके बारे में काफ़ी बहस हुई थी । मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना अधिक मिल वाले मुनाफा कमा रहे हैं । देश में शुगर फैक्ट्री वाले कितना मुनाफा कमा रहे हैं, इसका हमको ठीक-ठीक पता नहीं है क्योंकि वे ठीक-ठीक एकाउंट नहीं रखते हैं, कुछ इनकम टैक्स वालों के डर की वजह से और कुछ जो दूसरे डर हैं, उनकी वजह से । लेकिन आंध्र प्रदेश में एक शुगर फैक्ट्री है । जिसका नाम निज़ाम शुगर फैक्ट्री है । वह बोधन में है । १९६० में ९० लाख का प्राफिट दिखा पाई है। ९० लाख का प्राफिट एक साल में एक शुगर फैक्ट्री को हुआ है । इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि मिल-मालिकों के प्राफिट्स को घटाया जाए और चीनी की कीमतों को कम किया जाए । अगर दाम घट जाते हैं तो देश में ही शुगर का खर्चा बढ़ जाएगा, शुगर की खपत बढ़ जाएगी । इस वास्ते उत्पादन को कंट्रोल करने के बजाए शुगर के दाम घटाने की तरफ़ आपको खास ध्यान देना चाहिए ।

जो एक्साइज ड्यूटी आपने शुगर पर लगाई है वह भी बहुत अधिक है । माननीय मन्त्री जी ने कल बताया है कि शुगर अधिक खाने से सेहत ठीक नहीं रहती है, तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती है । मेरी राय इसके बर-खिलाफ है । भारत में सभी के लिये, बच्चों और बीमारों और वर्कर्ज इत्यादि सभी के लिये यह मुफीद है । जो मेहनत करके थक जाता है, उसको थोड़ी शुगर देने से, मिठाई देने से, शक्कर को पानी में घोल कर देने से, उसकी थकावट दूर हो जाती है और फिर से वह ताकत का अनुभव करने लग जाता है । मेहनतकश लोगों को आज शुगर नहीं मिलती है और हम शुगर प्रोडक्शन को कम करने जा रहे हैं ।

Mr. Chairman: The hon. Member must try to conclude now. I think he knows that this discussion has to conclude by 2.30. I have a long list of speakers before me. At the same time, I am very sorry to say that the hon. Member is not speaking on the point. He is dilating upon the general uses of sugar. The specific point which is before the House is not being touched by him at all.

श्री रामम् : यह ज्यादा अच्छा होगा कि शक्कर का दाम घटा कर देसी मार्केट में उसको ज्यादा खपाने का प्रबन्ध किया जाए । चीनी खाद्य वस्तुओं में अव्वल दरजे की चीज है । मेरे ख्याल से इसके उत्पादन पर रोक नहीं लगानी चाहिये । इसलिये मेरी मन्त्री महोदय से विनती है कि वह इस बिल को वापस ले लें । बल्कि किसानों को ज्यादा गन्ना पैदा करने के लिये मदद दी जानी चाहिए ।

अगर अभी से चीनी पर कण्ट्रोल लगाया गया और उसका रेग्युलेशन किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि दो तीन साल में देश में लोगों के लिये चीनी की कमी पड़ जाएगी । इसलिये मेरी मन्त्री महोदय से विनती है कि वह इस बिल को वापस ले लें नहीं तो प्रोडक्शन का क्षय होगा । लोगों के लिये चीनी की काफी सप्लाई होनी चाहिये । अभी इसकी काफी सप्लाई नहीं है । इसलिये इस पर रोक नहीं लगानी चाहिये ।

सरकार मिल मालिकों का मुनाफा कम नहीं करना चाहती । सरकार खुद ३० परसेंट एक्साइज लेती है और ३० परसेंट मिल-मालिक को मुनाफा देती है । किसानों को केवल ४० प्रतिशत मिलता है जबकि मन्त्री महोदय कहते हैं कि किसानों को ७० प्रतिशत मिलता है । मैं कहता हूं कि अगर वह इसकी जांच करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त करेंगे तो उनको मालूम होगा कि किसान को ४० परसेंट से ज्यादा नहीं मिलता । ६० परसेंट से ज्यादा तो मिल वालों के मुनाफे में और एक्साइज में चला जाता है ।

[श्री रामम्]

इसलिये मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय इस बिल को वापस ले लें क्योंकि इस का कोई जरूरत नहीं है ।

Shri T. Subramanyam (Bellary): Mr. Chairman, Sir, in view of the large accumulated stocks with the factories and in the godowns to the extent of nearly 12 lakh tons and also having regard to the fact that the industry has to be stabilised and the ryots also have to be helped, it is now proposed by the Ministry to regulate the production of sugar for the coming year. In this context I would urge that the yield per acre should not be adversely affected. It should not have a depressing or an inhibiting effect upon the yield per acre. That is the crux of the problem. That is also the anxiety of the hon. Food Minister. It was obvious yesterday.

If our Third Plan or if any plan has to succeed and if our agricultural economy has to be successful, it is of the utmost importance and significance that the yield per acre should not decrease but should, on the other hand, increase. I am glad to mention in this context that the yield per acre in South India is much more than in North India. Yesterday it was mentioned that in Uttar Pradesh and in other States the yield was about 14 to 15 tons per acre, sometimes even less than that. In South India there are several States, like, Maharashtra, Mysore, Andhra and other States, where it exceeds 30, 35 or 40 tons and approaches even 50 tons. I know of ryots who have produced even 60 tons per acre. Therefore I submit that it should not have a depressing effect upon the attempts made by the ryots to increase the yield per acre.

Yesterday it was mentioned that the acreage of sugarcane has increased. Compared with 1959-60 in 1960-61 there was an increase of 514,000 acres. That was mostly in Uttar Pradesh and other States. That was not so in South India. Mysore was one of the States which recorded a decrease in the production of sugar. The other State was Andhra Pradesh. There is another factor which has to be remembered in this connection. I have received numerous telegrams and representations from the agriculturists of Bellary District in Mysore State. There are two factories there. I am glad to mention that in that area in Hospet, Kampi and Kamlapur the ryots have been taking very keen interest and active care to see that the yield per acre increases year by year. That has been their concern. The Government has also been helping them The growing of sugarcane is a very costly affair involving the use of fertilisers, good and improved seeds, labour and all these factors. Therefore when the expenditure of these ryots and agriculturists has increased enormously, I submit that they should not be put to any serious loss. I know that this is the anxiety of the hon. Food Minister also. He has made it obvious yesterday. In the coming months attempt should be made to increase exports and also internal consumption. In the matter of regulating production probably there may not be much need to reduce the production in the factories we should take enough care to see that our distributive system is satisfactory and adequate. I know there are large areas and a large number of people whom sugar has not reached under this distributive process. Prices have also slightly come down. It is a good thing. While the Government should have its excise duty, the factories should have its profits and dividends and the agriculturist his proper and adequate and satisfactory price, I feel that the interests of the consumer should not be ignored in this matter. Prices should not go down too low resulting in the agriculturist not getting a proper and adequate price. But if there is a fall in price, as there has been, the beneficiaries of the reduction in price should be the consumers and not the others. That I would like to submit strongly.

As I said, I have received nume-

rous representations. There was also a conference just a month back in Hospet when the agriculturists and the sugarcane growers of that area passed a resolution saying that Government may kindly reconsider this position and see that the ryots are not put to a loss. I know it is also the interest of the hon. Food Minister. If the cane could be diverted to the manufacture of jaggery it would be very good. I feel that in that particular area considering all these factors there is no need for this reduction and the ryots should not be put to a loss. That is the concern of the hon. Minister and that is also my concern and of the agriculturists.

Shri S. L. Saksena (Maharajganj): Sir, I was very happy when I saw in the papers that the hon. Minister had decontrolled sugar. That will certainly increase consumption of sugar by about 2 lakh tons. That is my estimate. But I was very sorry when I saw the Ordinance. I do not think that is the method by which he could meet the sugar crisis.

If, as has been said in the Bill, 10 per cent production of sugar has to be reduced, it will mean that about 8½ crore maunds of cane will be left uncrushed. But even if I accept his 4 per cent figure, it will mean that 3½ crore maunds of uncrushed cane will be there. There is also 10 per cent additional production than last year. It will mean that about 12 crore maunds of cane will remain uncrushed even if I accept his figure of 4 per cent. But according to the figure given in the Bill, it will mean that 17 crore maunds of cane will remain uncrushed. It must be used for the manufacture of gur and *khandsari*. Only last year mills were crying, "Destroy the *khandsari* Industry" because they did not get enough cane for their mills They said, "Do not put any extra unit in the mill zone' and the result is that the industry is almost destroyed. You have put a high excise duty on it with the result that they are suffering losses. The U.P. Government, keenly conscious of the calamity in store, have removed all the cesses and licence fees of the crushes there. But, the Central Government, as I was told by the Chief Minister himself, is not wiling to take off the excise duty. I therefore request, if you really want the industry to flourish, that you should remove the excise immediately, so that this year they can do something. Then too, they may not be able to crush the 17 crore-maunds of excess cane. That can only be made if the mills are asked to crush them. What I say is this. The factories are already late by one month. Last year, the crushing season began on the 4th of November. This year, they have not started in many mills. They are about to start early in December. That would mean that they will be one month delayed. That would mean, after the elections after February, these factories will say, we cannot crush the cane. Last year, they started in November, and they crushed till June. Then too, they were not able to crush all the cane . Some cane was burnt in barhein in Basti District in Tulsipur factory area. What I say in this You have not given incentives to factory owners. You have taken them away. The factory owners will say after February that we cannot crush the cane unless you cut the prices. So, I can prophesy this. In the month of March, the sugarcane prices will be reduced to a very low figure so that the entire cane will be crushed. I say this is deceiving the cane growers. I want an assurance from the Minister that the sugarcane prices will be kept up to the very end and the factories will be induce to crush all the cane. I can tell you they cannot be induced until you continue the incentives which you have given so far. Therefore I say this. Last year, you spent Rs. 10 crores to give incentives to the mill owners so that they may crush all the sugarcane, that was produced and they produced the maximum amount. This year, you have taken away all the incen-

[Shri S. L. Saksena]

tives. I would say, you keep on the incentices. It will not cost very much. Already the figure was 30 lakh tons. They can produce a little more. It may be 10 crore maunds of 6 crore maunds more than last year and 9 crores more than the year before last. You have to give rebate on excise duty on about 8 lakh tons. This year, even if they produce 2 lakh tons of sugar more than last year, you have to give within one-fourth of what was given last year.

I, therefore, say this. Give a promise to the House that you will not reduce the price of cane until the last stick of cane standing in the field is crushed. Otherwise, if it is reduced after the elections, that would be playing foul with the electorate—telling them that we have promised full price of cane now and you will take it away after the elections are over. I may tell you, the factory owners, last year, rushed in June. Surely, in the month of June, recovery is low. How can you expect them to crush this year unless you give them incentives? Therefore, I say, promise to this country that the sugar cane price will be kept up until the end of the season, and secondly you will give the factory owners sufficient incentives to continue crushing even in June this year. Then all the cane will be crushed.

Thirdly, I would request you to withdraw the Ordinance. It will not make much of a difference. This year, the stock is much lower. People have come to know that there is so much of sugar. They will not grow more sugarcane. Next year there will be shortage. Therefore, I say, this year, you stock the sugar. It will not be destroyed. Sugarcane cannot be stored. You can store sugar at least for one year. My proposal is, immediately declare that sugarcane prices will not be reduced this year and that the incentives will continue so that the mills may crush and we may be able to crush all the sugarcane standing in the fields. In the U.P., last year, 40 crore maunds were crushed. This year, the orders are that 36 crore maunds should be crushed. Actually, the production is 40 crore maunds. Nine core maunds is in excess in the U.P. itself. The result will be, it will not be possible to crush it. The factories have started crushing one month later. It will not be possible to crush all the cane unless they are given incentives and they crush till June. The result will be, cane will be burnt. Khandsari and gur cannot cope with the situation. Gur prices will go down and gur will not be able to take much. Therefore, I say, for God's sake, don't play havoc with the cane growers. You asked them to grow, you gave them incentives, you said, grow more cane, you said. don't give it to khandsari. When they have grow. you say, you will not process it. This year you can say that. you should not plant more and that you will reduce the price by 10 per cent. They will not grow that. If you want to leave the cane uncrushed which as already been sown, it will be breach of faith with them. They have been asked to grow this year. You should get it crushed at the price given last year. My only plea is this. Particularly, U.P. is the province where the poor cane-growers are always at the mercy of the mill owners. If you do not promise that all the cane will be crushed, they will be nowhere. I can tell you that the Congress Ministry in the U.P. will be in danger of being returned if you continue with this policy.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): Self interest.

Shri S. K. Patil: That is good for him.

Shri S. L. Saksena: With the burning of cane, I may tell you that the Government also will be burnt.

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : सभापति महोदय, अपोजीशन से अथवा सरकारी

बैंचेज की तरफ से जिन भाइयों ने इस विषय पर बोला है उन सब ने गन्ने की काश्त करने वालों के इंटरैस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिये सरकार से कहा है । सबने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि फैनग्रोअर्स का जो गन्ना खतों में तैयार पड़ा है वह वैसे ही खड़ा न रह जाये और उन्होंने कहा है कि उस तमाम गन्ने को खपाने का आश्वासन मन्त्री महोदय को अवश्य देना चाहिए ।

सरकार के इस आर्डिनेंस का परिणाम यह हुआ है कि किसानों में शंका हो गई है कि यह जो शुगर के प्रोडक्शन में दस फीसदी की कटौती की जायेगी तो उसी प्रोपोरशन से गन्ना पेरने के परसेंटेज में भी कमी हो जायेगी । अब इसके लिये फैन डेवलपमेंट की जो सरकार ने मशीनरी खड़ी की है उसने इसके लिये गांवों में पड़ताल करनी शुरू कर दी है । अब पड़ताल में वह किसानों को तरह-तरह से हैरेस करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारा इतना ही गन्ना लेंगे । देवरिया जिला जहां से कि मैं आता हूं वहां पर १४ चीनी कारखाने हैं और वहां पर फैन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि पिछले पांच सालों में जो तुम ने गन्ना बोया था उसका एवरेज क्या है । उतना गन्ना हम ले लेंगे, बाकी तुम्हारा पड़ा रह जायेगा । मैं समझता हूं कि हमारे अपोजीशन में और सरकारी बैंचेज पर बैठने वाले सब लोग इस बात को जानते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी कितनी करप्ट है और इस जांच पड़ताल के बहाने वह अर्ध-सरकारी मशीनरी आज किसानों से क्या सलूक कर रही है । उनके जिम्मे यह काम है कि वह यह तय करे कि कितना परसेंट गन्ना मिलों में जायेगा और कितना गन्ना किसान के खेत में बेकार खड़ा रह जायेगा और जाहिर है कि किसान इस बात के लिये बहुत उत्सुक है कि उसका ज्यादा से ज्यादा गन्ना शीघ्र बिक जाये और उस दस परसेंट कट के बाद जितना उसका प्रोपोरशन होता है छिला दे। किसान को आज इस आशंका को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है कि कहीं उसका काफी गन्ना खेत में पड़ा ही न रह जाये । इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है और जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है और नेशनल इंटरैस्ट का भी तकाजा है कि हम चीनी का उत्पादन बढ़ायें ।

चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं उसमें अधिक नहीं जाऊंगा लेकिन मैं एक चीज साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब हमारे किसान भाई किसी तरह से चीनी के लिए गन्ने की पैदावार बढ़ाते हैं तो आप उनको इस प्रकार से निरुत्साहित न कीजिए । ऐसे मौके पर जब कि खेतों में गन्ना तैयार खड़ा है और सीजन शुरू हो गया है उस समय यदि इतनी प्रचंड कटौती का आर्डिनेन्स लागू किया जायेगा तो इसको लेकर किसानों में बड़ी परेशानी और असन्तोष फैलेगा । मैं समझता हूं कि जैसे और एक मेम्बर साहब ने कहा कि आम चुनाव नजदीक हैं और सन् १९६२ में सरकार बदलेगी तो आपके खुद के इंटरैस्ट में है कि किसानों को इस तरह से बर्बाद न होने दें क्योंकि जाहिर है कि इसको लेकर उनमें आपके प्रति बड़ा असन्तोष फैलेगा । अलबत्ता यदि आपको खुद यह शंका हो कि पता नहीं कौन सरकार चुनावों के फलस्वरूप आये और उसके आने के पहले ही हम किसानों की हिमायत बना दें तब तो दूसरी बात है और आप इसको कर सकते हैं । लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा यह स्वयं आपके हित में है और देश के हित में है कि आप यहां पार्लियामेंट के फ्लोर से इस बात का साफ तौर से एलान करें कि कहीं पर एक भी गन्ना खेत में बेकार नहीं पड़ा रहने दिया जायेगा और तमाम गन्ने को पिरवा दिया जायगा ।

जहां तक चीनी के प्रोडक्शन का सवाल है आप कहते हैं कि उसका उत्पादन बहुत अधिक हो गया है और हमारी चीनी के लिये वर्ल्डमार्केट नहीं मिल रहा है और साथ ही हम अपने देश में भी उसकी खपत नहीं बढ़ा पा रहे हैं इसलिये चीनी का प्रोडक्शन कम

[श्री रामजी वर्मा]

किया जाये और आप उस पर यह बंदिशें लगा रहे हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी हमारे देश में उतनी चीनी अन्दरूनी खपत के लिये उपलब्ध नहीं है जितनी कि हिन्दुस्तान की आबादी को देखते हुए होनी चाहिए । चीनी का दाम इतना रखा है कि गरीब गांव के आज रहने वाले उसको खा नहीं पाते। अब आपके लिए खाली यह कह देना कि हमारे देश के गरीब गांव वालों को चीनी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है काफी नहीं है क्योंकि अगर उनको परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी तो आप पर ही आती है । आज हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में इतनी चीनी पैदा नहीं होती है कि हम तमाम अपने देशवासियों को उसे खिला सकें । एक भाई ने जैसा कहा कि चीनी खाना केवल अमीर लोगों के लिए ही नहीं बल्कि मजदूरों के लिए भी जरूरी है मैं भी उसको मानता हूं कि सबको चीनी खाने को मिलनी चाहिए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदारी मिलमालिक, कैपिटलिस्ट्स और सरकारी मशीनरी की है । यू० पी० में केन डेवलपमेंट सोसाइटी है । स्टेट्स में केन पर सेस लिया जाता है ताकि गन्ने का विकास किया जाये और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाये, लेकिन वह प्रोडक्शन और यील्ड बढ़ाने में कहां तक सहायक हुआ है, यह आप जानते हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है । करोड़ों रुपया स्टेट्स से डेवलपमेंट के लिए आता है और सरकारी रेवन्यू बनता है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट का महकमा एक छटांक गन्ना भी बढ़ा नहीं सका है । जो डेवलपमेंट हुआ है, या उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह किसान के द्वारा उसकी मेहनत से हुई है । पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कृषि का एरिया बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है और इस सम्बन्ध में जो सफलता हुई है, उस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन गंवार किसानों के द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर हम ऐसे पग उठा रहे हैं, जिनसे उनको हानि ही होगी ।

14 hrs.

जहां तक शूगर फैक्टिरियों का प्रश्न है, वे पच्चीस, तीस बरस से प्रोडक्शन में लगी हुई हैं । उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए, लेकिन उनकी चीनी महंगी होती है, जिसकी वजह से हम किसी बाहर की मार्केट में नहीं जा सकते । जब किसानों ने किसी तरह से प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, तो उनको आश्वासन देना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए । जिन लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाने में रुकावट डाली है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए ।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि आर्डिनेन्स से जो हवा फैली है, सरकार को उसका विचार करना चाहिए । और इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए । बिल नहीं आना चाहिए । अगर इसके बावजूद सरकार गलती करती है, तो जिम्मेदारी उस की होगी । हमारा फर्ज है कि हम उसको समय से चेता दें ।

Mr. Chairman: Now, Shri Braj Raj Singh.

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): May I have a few minutes?

Mr. Chairman: Now, there is no time. The hon. Member's name was there in the list, but he has been absent all this time, and he has come only now; that is why I have not been able to call him. I am sorry. Now, Shri Braj Raj Singh.

Shri Braj Raj Singh: Do you want me to reply to the discussion on the resolution? I thought that the procedure was that the Minister would reply first, and then since I had moved the resolution, I would have the last chance to reply.

Mr. Chairman: The hon. Minister is moving the Bill for consideration. So, so far as that is concerned, he has got the last opportunity to speak. First I shall call the hon. Member, and then I shall call the hon. Minister.

Shri Braj Raj Singh: My difficulty is this. The hon. Minister spoke first and I spoke after him. So, I had already replied to his points. So, I have nothing to add to my remarks now. But if the hon. Minister wants to say something else, then I might be allowed three or four minutes to reply to those points.

Mr. Chairman: The hon. Minister has to pilot the Bill. After the Bill is pased, what is the use of the hon. Member's reply? So, the hon. Member has got an opportunity of replying at the earlier stage.

Shri Braj Raj Singh: You will admit, Sir, that according to the provision in the Constitution, it is my resolution which has first got to be put to the vote of the House, that is, the resolution seeking disapproval of the Ordinance. Only after that, the Bill can be passed.

Mr. Chairman: I shall first put the hon. Member's resolution to vote, and then only the consideration motion in respect of the Bill will be put to vote. At the same time, the hon. Member has now get the last opportunity to reply on the resolution. After him, I shall call the hon. Minister to reply on the motion for consideration of the Bill.

Shri S. L. Saksena: The hon. Member should reply to the debate after the hon. Minister has replied, because he is the person who has said that the House should disapprove of the Ordinance. So, after the hon. Minister replies, he should be given a chance. Only after this, the motion for consideration could be placed before the House and the hon. Minister can reply to the debate.

Mr. Chairman: There are two points here. The resolution has to be put to vote, as also the motion for consideration of the Bill. I think that this is the proper procedure. First of all, the hon. Member replies on the resolution, and then I shall ask the hon. Minister to reply on the motion for consideration; then, I shall put the two motions to vote.

Shri Braj Raj Singh: With all due respect to your observations, may I submit that in the present case, the hon. Minister was first asked by the Deputy-Speaker to initiate the debate. Since he initiated the debate, certain hon. Members have put forward their points. If the hon. Minister has got anything to say on those points, he may be allowed to reply to them. Then, I may be allowed to reply on my resolution.

Mr. Chairman: The point is this. When the hon. Minister speaks, he will only speak on the motion for consideration, and will not be able to advance any new arguments, similarly when the hon. Member speaks on the resolution, he would only stick to the points that have been made by the other party and reply only to them.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): The question before you is this, namely whether the resolution of the hon. Member has priority over the Bill or not. If it has priority over the Bill, and it is going to be put to the vote the House first, then, naturally, it means that the hon. Member moves the resolution, then, the hon. Minister says what he wants to say, and then the hon. Mover would reply, and then the resolution should be put to vote; if the House votes for his resolution and throws out the Ordinance, then the question of considering the Bill does not at all arise. On the other hand, if the House votes down his resolution, then the Bill comes in. So, in the ordinary course, propriety requires that the hon. Minister should reply on his motion, and then the hon. Member may reply on the resolution, and then the resolution may be put to vote.

Mr. Chairman: The hon. Member is aware that in the Order Paper of yesterday as well as today, the resolution occurs first, and then only the Bill appears. It is quite true that the resolution must be disposed of first. The motion for consideration of the Bill shall be put to the vote if the resolution is not accepted.

Yesterday, it was by common consent that the hon. Minister spoke first. He made a request to the hon. Speaker to allow him to speak first, and there was no controversy over it. Now also, there is nothing wrong if the hon. Minister gets the last opportunity to speak.

श्री ब्रजराज सिंह : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस प्रस्ताव पर होने वाली बहस में हिस्सा लेने वाले सभी वक्ताओं ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि इस तरह के कानून से देश के किसानों का अहित होगा। मैं विश्वास करता हूं कि खाद्य मंत्री महोदय सदन की इस चिन्ता से अवगत हो गये होंगे। सदन में सर्व-सम्मति से, बिना राजनैतिक भेद-भाव के, कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल के सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि यदि इस आर्डिनेंस को कानून की शक्ल दी जाती है, तो देश के किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा। कम से कम उन किसानों का जरूर नुक्सान होगा, जिन्होंने इस ख्याल से कि मिलें गन्ना खरीदेंगी, अपने खेतों में गन्ना बोया हुआ है। सरकार की ओर से शूगर के प्राडक्शन में दस परसेंट कमी--जिस को माननीय सदस्य के अनुसार फिलहाल चार परसेंट कर दिया गया है--होने से उन लोगों का बहुत सा गन्ना पड़ा रह जायगा। इस सारी बहस के निचोड़ को देखते हुए खाद्य मंत्री महोदय के लिए एक मजबूत केस हो गया है कि वह यह कानून न लायें और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इस से उन करोड़ों किसानों को आश्वासन मिलेगा, जिन्होंने अपने खेतों में गन्ना बोया हुआ है और जिन को आशंका हो गई है कि उन का गन्ना रह जायगा : जैसा कि श्री रामजी वर्मा ने कहा है, दस परसेंट काटने का जो हुक्म हुआ है, उस से किसानों को चिन्ता हुई है कि उन का कौन सा गन्ना रह जायगा और इस की पड़ताल हो रही है। इस लिए यह आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये और इस कानून को वापस ले लिया जाये। जब किसानों को इस विषय में सूचना होगी, तो वे आगे के लिए उसी के मुताबिक अपनी फ़सल को नियत करेंगे और उन का नुकसान नहीं होगा। बिना सूचना दिये हुए यह कानून बनाना किसानों के हित में नहीं होगा।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से फिर निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इस बिल को वापस ले लें।

Shri S. K. Patil: Hon. Members who have taken part in the debate have shown anxiety as to what will happen to the farmers, quite a large number of them, nearly five millions of them, if the cane that is standing is not disposed of one way or the other in the sense that either you use it for manufacturing crystal sugar, or you use it for preparing khandsari or gur. I can at the very outset assure this House that at any rate I would not be the Minister who would see that these standing crops, if it is impossible to crush them either for crystal sugar or for gur, should be allowed to be destroyed, it would be a very unwise Minister, whosoever it may be, who does so. Having the interests of the farmers at heart, hon. Members cannot expect me to be a party to a situation where such a thing or such an eventuality would ever arise.

Another question will arise. Everybody talks very sweet about things. But for a little change I would ask them to be practical. If there is a chance of the farmer being completely destroyed by the other process, then I have got to do something to save him from that destruction. What I am now doing is not the process of destruction but that of saving him. I shall explain

in a nutshell the situation that would have arisen if such an Ordinance was not promulgated and subsequently it was not put into an enactment.

As it is we have already got 12 lakh tons of sugar in stock, a little less than that, 11·85 lakhs. If I do not do anything this year, had I simply kept quiet and had the Ordinance not been promulgated and nothing was done, there is the surest prospect of this year's sugar production being of the order of 33—35 lakh tons. But take the smaller figure, 33 lakh tons. Our consumption has not yet gone beyond 21 lakh tons or 22 lakh tons. But even assuming that it goes to 23 lakh tons or 24 lakh tons, there would have been a million tons of sugar more. Therefore, our stock would have increased from 12 lakh tons to 22 lakh tons the cost of which, apart from excise duty, is somewhere to the tune of Rs. 154 crores. Does the House expect the Minister to see that such a stock of 22 lakh tons should be allowed to accumulate, locking up Rs. 154 crores of the State Bank? Even that could have been done, if the stock was of a type of sugar that would last for three or four years and there was any prospect of marketing such a large quantity.

I think there are no two opinions in this House that the Government must be empowered to regulate the acreage. It is necessary to do it. You do it today or do it next year. I would explain as to why it was done just now. It has got to be regulated. Otherwise, it not only encroaches upon other crops but there is also this factor that there is no land available in this country. I have often enough said that India is the one country in the whole world which brings under cultivation the largest percentage of the area, 41 per cent. The country that comes next, Indonesia, has got 12 per cent. Therefore, you could see that there is no scope here for that. Hence any increase in the acreage is at the cost of something else. These 9 lakh acres have been brought under cultivation at the cost of cotton, wheat and some other things.

It is not for punishment of the farmer that I am aiming at this. If as a result of it, stocks accumulated, money would have been unavailable to the factories. The immediate result of it is that even the crushing season would not have started. Shri S. L. Saksena knows it very well. Money does not drop from the clouds. Sugar has to create that money and if the money was not available and it was impossible for the factories to pay even the first charges that have got to be paid for the cane, the farmer would have been the hardest hit.

Therefore, I thought the farmer had to be protected from all these eventualities. And what have I done? I have not immediately stopped him. I have just said what I want to do later on, next year. Many Members have questioned me. I wish for a little change they would come into my shoes and stand there for a minute and give the answer themselves, as to why I have got this Bill brought before the House just now and not one year before. The point is whatever be the time you pronounce your intention, a period of two or three years will have to go because of sowing, then crushing and so on. In these matters of commodities, you cannot wait for two years and three years to take your decision. We know that there is can on the land. We know that this year it is impossible for them to retract it from the land. It has got to be there. But it is a principle that the House would be accepting, that the Government shall have the power to regulate that acreage. Whatever compromises have got to be made in the period intervening, it means that this year those compromises, wherever necessary, have got to be made. Therefore, this principle or this Bill has been brought forward.

I could assure this House that when I speak of 4 per cent, it is because

[Shri S. K. Patil]

of many exceptions that we have made. Any factory that crushes only or produces 11,000 tons or less is exempt from it. There is no cut of 10 per cent. Then the new factories, then factories that were not working for some reason, then factories where there were strikes etc. and something happened—all these exceptions which I detailed in my speech yesterday are there. If all these are taken into account, it really comes to 4 per cent. Even then, I agree with Shri S. L. Saksena that that 4 per cent plus the additional cane that is there would come to a sizeable quantity.

Now, what was the intention two years or three years ago when I gave these incentives? I made it abundantly clear again and again that the intention was not that more land should be brought under cultivation. The intention was that the sugarcane that was going to gur and khandsari should be transferred to crystal sugar. All these incentives were given not because the farmer should be persuaded to have more acreage under sugarcane, but that instead of the extraction being 60 or 66 per cent, which is the case under gur or khandsari, it should be 100 per cent and it should be crystal sugar. Therefore, it was a transfer to another form, from gur and khandsari which is a small part in UP, to crystal sugar, and not a question of having a million additional acres under cultivation.

I am never chary of paying compliments to the farmer. He is the wisest man. He is the shrewdest man and he is a man who has got to be protected. I am one with the Members of the Opposition in seeing that his interests are protected and not jeopardised. But I do not expect him to have more land and then produce sugarcane on it. That is not a matter for compliment, because after all, he has thereby deprived some other crop, and at the cost of that he has done that. If the per acre yield is increased—as he is increasing; our farmers are increasing the per acre yield—the difficulty would not have arisen.

My hon. friend, Shri Vajpayee, raised a very mathematical question. He said, it is after all a question of more sugarcane; whether it comes one way or the other, why do we bother about it? The problem would have been just the same because sugarcane production has increased. I would tell him that it goes beyond arithmetic. There is a human factor in it. If he produces it on the same acreage, that means the same man instead of having 500 maunds has got 1000 mands. The man is the same. Therefore, even if he gets the payment a little less or a little later, that would not be much of a hardship. It is not the number of people that has increased or the acreage that has increased. It makes a world of difference between the two situations.

But whatever has happened, let us talk as practical men. What could we do now? Should we accumulate sugar to the tune of 22 lakh tons and have Rs. 154 crores of the State Bank blocked on this one single item, with the prospect that our foreign exports etc. are going to be very limited, because there is no market. As I pointed out yesterday, even if it was possible to export it, we could send only 1 lakh tons more. That does not solve the problem.

That brings me to a very essential question raised by Shri Braj Raj Singh and many others, namely should we do something in order to increase internal consumption? It is a very relevant question. My mind has been really working on that for a long time. When I said incidentally yesterday that there is a limit to internal consumption, it does not mean we should not consume sugar. One can eat more rice or wheat, but one cannot eat more sugar in that way. I did not mean that we should not consume sugar. I would tell my hon. friend and let him tell his constituents

that they could consume as much sugar as they like.

The figures that were quoted are very wrong figures. When you talk of consumption of sugar, you must also take into consideration gur which is in two parts. Therefore, those statistics do not come in, but even then there may be scope for consuming more sugar or gur. How do we know it? We liberalised all these rules, and in six weeks time about 50,000 tons has moved, and I am quite sure the consumption will go up, though I am not so sanguine as my hon. friend Shri Saksena. The reason is that the prices are high, and one significant element in the price is excise duty and other duties which the States have imposed. Altogether, the duties come to somewhere about Rs. 13 per maund. I am examining this in my mind, because, after all, once the money comes as excise into the fill of the Government, that Government or Finance Minister would be reluctant to lose it, because, if he loses it, he will have to find it from somewhere else.

Shri S. L. Saksena: It is not losing.

Shri S. K. Patil: I understand. It is not simple arithmetic, and I should be credited with knowing it. Besides, arithmetic has been my strong or weak subject in life. Therefore, it has to be counter-balanced, as possibly he wants to suggest to me, by more consumption.

If this one lakh tons of sugar goes —I am taking a round figure—it means the duty comes to somewhere about Rs. 3 crores, again in round figures, at Rs. 10:70 per maund. As Shri Braj Raj Singh has suggested, there is scope for reducing the excise duty. I assure the House that I shall take up this question very seriously with the Finance Minister and the Government, and if I am convinced, as one must be convinced, that as the sugar starts moving more quickly the loss in excise duty by a reduction can be more than made up by the duty on the additional consumption of sugar, surely you can take it that I would wholeheartedly support the scheme.

In fact, it is in my mind, it is not a new thing. My mind has been working on it, and I am watching the results.

Many other questions have been raised, but they are not relevant to this discussion, because, ultimately, if the whole agricultural economy has to be sustained, and not only sustained but made progressive, then you have to regulate your acreage not only of sugar. I wish to tell the House that I am thinking that very soon—how much time it will take I do not know—the State Governments must be empowered to regulate the acreage not only of sugarcane, but other crops also, so that there should not be any cut-throat competition between any two crops, so that there may be no favouritism shown to one set of farmers against another.

It is good that we are having this discussion. Five years ago the discussion used to be how to import our requirements of sugar, but today luckily we have a surplus and we do not know what to do with it. Compared with those difficulties, the present difficulties are, I think, very good indeed.

Shri Jhunjhunwala raised a question that he did not know how the raising of the excise duty was really going to provide a reduction of ten per cent. It is an easy thing, because if you want to have that, there is no method by which it can be done, and therefore the method by which the Governments always do it is to increase the duty, thereby making it impossible for the mill to crush more and produce more sugar. This is done because we have no ready-made method of doing it, but I can tell the House I am watching the position day by day. If I have told the farmers to produce more and if they respond to my call, I would be a bad Minister

[Shri S. K. Patil]

if I punish them for implementing what I have asked them to do. Therefore, the farmer has got to be protected in some way. At the same time, he has got to be dissuaded hereafter from having more acreage when the sowing starts.

So far as this year is concerned, the situation would be very carefully watched with particular reference to places where there are difficulties, as for instance North Bihar. Somebody said that there is difficulty there because they cannot produce anything else there, and that their sugarcane does not go to gur. I have seen the figures, their sugarcane also goes to gur. But Bihar is a very outstanding example where nearly 60 per cent of their sugarcane really goes to sugar.

Shri S. L. Saksena: East U.P. also.

Shri S. K. Patil: East U.P. also. Therefore, exceptions have to be made in such cases.

Supposing by the liberalisation I have adopted I find a lot of sugar moves and it is possible to reduce the excise duty and thereby increase consumption, then I would be liberal here also, because this is not done to punish the farmers. Nor has it got anything to do with the elections. Please forget that. The farmer community has to remain for all time, for all the elections and not only this election. Therefore, anything that is sought to be done just now does not have the ensuing elections in view. We have now turned the corner, and from a deficit argricultural economy, at least in something we have come to a surplus agricultural economy, and if this is going to be the pattern of our agricultural future, I would welcome it. We shall be able to regulate it. There is no danger and no difficulty. Therefore, the House need not be panicky. What we have got is an enabling Bill. It does not even say 10 per cent.

Shri Braj Raj Singh: It is the rules.

Shri S. K. Patil: The Bill gives the power. The rules are made under the Bill, and we have kept a way out. If somebody tells me that they have been hit hard, and that what remains has got to be crushed as otherwise they would suffer, I think they must have the fullest protection. Areas like North Bihar and East U.P. that come under the same description are covered, but I am talking of Bihar because of the floods and other damage there. I am not talking of the normal conditions of Bihar. Whether they are in Eastern U.P. or Bihar, all these things would be attended to.

The House should realise that if we do not have any such power and if this madness of increasing production goes on to 50 lakhs for instance, a time would come when there would be no space in the stomach to hold all that sugar that we shall be producing in this country, because there is no foreign market of that size.

I have been trying the foreign markets. Some hon. Member asked yesterday why Government should not do something to boost the exports. This House passed supplementary grants in the last session in order that we should boost our exports.

After this explanation, I think there is no reason whatever for any panic or alarm so far as the sugar situation is concerned.

Shri S. L. Saksena: How to consume the surplus of 10 crores?

Shri S. K. Patil: You merely say so because you take it for granted that a part of it at least will not go to gur. Formerly about 27 per cent was going into the production of crystal sugar, but during the last three years it has gone up to 40 per cent. If you allow for that, the 12 crores immediately comes down to 3 crores or something like that, and the problem assumes its proper size. And it

is in my hands, and if the releases are encouraging, it could be balanced, but that is a question which I cannot tackle alone, and therefore I cannot give an outright promise because I have to consult other Ministries and it does not strictly come within the four corners of Ministry alone. That can be done if there is increased consumption. the rate can be reduced.

Shri S. L. Saksena: Gur prices will go down.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Nobody can answer your points.

Shri S. K. Patil: Therefore, I appeal to the House: let us not create panic where there is no panic. Let us not frighten the farmer who need not be frightened. We should encourage him in every possible way, and surely my duty will be to encourage him in all his honest efforts.

Shri S. L. Saksena: Will not gur prices come down with this extra production of gur?

Shri S. K. Patil: Nothing will come down. We have got the releases in our hand. They are regulated so that the prices do not slump.

Shri S. L. Saksena: Gur prices.

Shri S. K. Patil: They have not gone down in the market even today, in spite of all the speeches.

Mr. Chairman: The question is:

"The House disapproves of the Sugar (Regulation of Production) Ordinance 1961 (Ordinance No. 3 of 1961) promulgated by the President on the 29th September, 1961."

The Lok Sabha divided:

14.34 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri N. T. Das (Monghyr—Reserved—Sch. Castes): Sir, my vote has not been recorded properly.

Mr. Speaker: Did he vote for 'Ayes' or for 'Noes'?

Shri N. T. Das: I voted for 'Noes', but it has come wrongly; it is recorded as 'Ayes'.

Mr. Speaker: All right. Then, it will be one minus for 'Ayes'. and one more for 'Noes'.

Division No. 1] .. **AYES** [14.36 hrs.

Braj Raj Singh, Shri	Ramam, Shri	Sakesna, Shri S.L.
Mohan Swarup, Shri	Ranga, Shri	Sugandhi, Shri
Parvathi Krishnan, Shrimati	Rao, Shri T.B. Vittal	Verma, Shri Ramji

NOES

Achar, Shri	Dasappa, Shri	Hem Raj, Shri
Anev, Dr. M.S.	Dube, Shri Mulchand	Jain, Shri M.C.
Bahadur Singh, Shri	Dwivedi, Shri M.L.	Jamir, Shri Chubatoshi
Barman, Shri P.L.	Eacharan, Shri V.	Jogendra Sen, Shri
Bidari, Shri	Ering, Shri D.	Joshi, Shri A.C.
Bist, Shri J.B.S.	Ganga Devi, Shrimati	Jyotishi, Pandit J.P.
Biswas, Shri Bholanath	Ganpati Ram, Shri	Kesar Kumari, Shrimati
Brajeshwar Prasad, Shri	Ghosh, Shri M.K.	Kiledar, Shri R.S.
Chettiar, Shri Ramanathan	Gupta, Shri Ram Krishan	Kistaiya, Shri
Damar, Shri	Hajarnavis, Shri	Kotoki, Shri Liladhar
Das, Shri N.T.	Harvani, Shri Ansar	Krishan Chandra, Shri
	Hansda, Shri Subodh	Kureel, Shri B.N.

ax ni Bii Shrimati
Maiti, Shri N.B.
Malaviya, Shri K.D.
Mallik, Shri D.C.
Malvia, Shri K.B.
Mehta, Shrimati Krishna
Minimata, Shrimati
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri R.R.
Mohammand Akbar, Shaikh
M ıı swın y, Shri N.R.
Muthukrishnan, Shri
Naraindin, Shri
Narasimhan, Shri
Nehru, Shrimati Uma
Neswi, Shri
Padam Dev. Shri
Pahadia. Shri
Panna Lal, Shri
Patil, Shti S.K.
Prabhakar, Shri Naval
Radha Raman Shri
Reghubir Sahai Shri
Raghunath Singh Shri
Rai, Shrimati Sahodrabai
Ram Shankar Lal, Shri
Ramaul, Shri S.N.
Ranbir Singh Ch.
Rane, Shri
Sahu, Shri Rameshwar
Saigal, Sardar A.S.
Samanta, Shri S.C.
Sarhadi, Shri Ajit Singh
Sarma, Shri A.T.
Satyabhama Devi, ShrimatiL
Shankar Deo, Shri
Shankaraiya, Shri
Sharma, Shri D.C.
Sharma, Shri R.C.
Shree Narayan Das, Shri
Siddiah, Shri
Singh. Shri D.N.
Singh, Shri K.N.
Sinha, Shri B.P.
Sinha Shri Gajendra Prasad
Sinha, Shri Sarangdhara
Subramanyam, Shri T.
Sumat Prasad, Shri
Tariq, Shri A.M.
Tewar, Shri Dwarikanath
Thimmaiah, Shri
Thomas, Shri A.M.
Tiwari, Pandit D.N.
Uike, Shri
Umra Singh, Shri
Varma, Shri M.L.
Vedakumari, Kumari M."
Viswanath Prasad, Shri
Vyas, Shri R.C.
Wodeyar, Shri

Mr. Speaker: The result of the division is: Ayes—9; Noes—96.

The Resolution was negatived.

Mr. Speaker: Now, the question is:

"That the Bill to provide for the regulation of production of sugar in the interests of the general public and for the levy and collection of a special excise duty on sugar produced by a factory in excess of the quota fixed for the purpose, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: There are no amendments to any of the clauses. I will put all the clauses together. The question is:—

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Sir, I just sent in an amendment to clause 4 today.

Mr. Speaker: I rule out the amendment. The notice of the amendment is just now on my table. I may not be able even to make out what he has written.

The question is:

"That clauses 1 to 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1 to 8 were added to the Bill.

Mr. Speaker: The question is:

"The Enacting Formula and Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri S. K. Patil: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill be passed."

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur): Sir, you have disallowed by amendment. I suggested my amendment in view of the assurance given by the hon. Minister that he was going to consider the possibility of reduction of excise duties because there was no provision in the Bill for that.

Shri S. K. Patil: That need not be in the Bill.

Shri Sinhasan Singh: The increase in excise duty is a penal clause for protection. The hon. Minister has assured us that he will see that every cane is crushed by the mill if it is not turned into khandsari or gur. As

the provisions in the Bill go, the mills will always be vigilant not to produce more than the quota for if they do they will have to pay excise duty as penalty. There remains the hon. Minister's verbal assurance. The present Bill is not going to reduce the price of sugar produced and so consumption will remain as it is. The mere fact that you are going to restrict further production means that you are going to hit the cultivator. Sugarcane crop is the one crop which is not failing; other crops are failing and everybody is trying to have sugarcane crop. My submission is that if the hon. Minister is thinking on these lines, that the sugarmills will be made to crush and nothing will be allowed to lie idle, there may be some provision to that effect somewhere. Otherwise, the mills may approach him and say: there is sugar lying idle and I will not crush it. So long as the provision remains as it is, under what power will you permit them to crush more. There is clause 6 and there are some other loopholes also. He can give exemption. But it should be clearly understood that the sugar mills have their propaganda machinery and they will raise a hue and cry. On this question, there must be an assurance to the cultivator that sugarcane will be crushed and nothing will be allowed to remain idle.

Pandit Thakur Das Bhargava (Hissar): There is only one reason why I want to make an observation at this late hour. I congratulate the hon. Minister for establishing a principle that the State should have control of the production of cereals, sugar and other things. There is a great imbalance in this country in the production of several kinds of commodities, especially so far as the question of fodder is concerned. We want five million acres of land to feed our cattle properly and we are deficient in that. Only four per cent of the total area is given to fodder; while in other countries it is between 25-60 per cent., it is so low here. I find that the cattle in our country are deteriorating and the milk production in the country is very low and the *per capita* consumption is 2½ ounces per head while in other countries it is 20 or even more. If we want to do our duty by the Constitution which lays down that the standard of living of the people and nutrition must be raised, fodder cultivation must be undertaken in a larger measure. This can be done only this way. In regard to cereals we are self-sufficient and in course of time by the end of the Third Plan, we will have attained a much higher level of production. Therefore, it is high time that we changed he use of land and its pattern. Today only four per cent of the land is devoted to production of fodder and we want at least ten per cent must be devoted for this purpose. This can only be done in the way in which the hon. Minister is proceeding. Today the principle has been accepted. We find that the cultivators want to cultivate only certain kinds of commodities in a certain way at a certain time. I find in regard to sugar so much objections have been raised in this House that I am rather compelled to say that people think of the special interests of particular areas. Since long, the cultivators of sugar production have been pampared beyond description. I am saying this as a result of my experience over the last 30 years in this House. Protection was given and ultimately sugarcane which was selling at about 1½ annas per maund is now selling at Rs. 1-7-0 per maund. So far as sugar is concerned, we have not only turned the corner but we are producing a larger quantity than we need. I remember the day when I said to Shri Kidwai something in regard to sugar. He wanted to import some sugar and I said: let all of us drown ourselves in the sea if in this country you have to go on importing even sugar. He gave me a promise that after that no sugar would be imported. I am very glad to find that no sugar had been imported since then. Today the hon. Minister has brought in a Bill which says that the production of sugar should be curtailed to some extent and I wish the

[Pandit Thakur Das Bhargava]

whole country and also the States were of this view. The States should be given the power to control production of cereals and other articles in a balanced manner so that the economy of the country may be improved and the people may get the right kind of food or any other thing they need. So far as milk is concerned, which is so deficient, the Gosamvardhan Council appointed a committee and just now it has submitted its report which says that so far as fodder is concerned it must be cultivated on a much larger scale. Therefore, I congratulate the hon. Minister for having taken the courage to establish a new rule, a right rule of controlling the production of unwanted commodities in this country which will meet the needs of our economy.

चौ० रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कई दोस्तों ने इस कानून के मसौदे के बारे में जो डर जाहिर किया है, वह इस लिए नहीं कि वे कोई किसानों की हमदर्दी में ज्यादा जोर से भाषण दे रहे हैं, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह आने वाले चुनाव के बारे में अन्दाज लगा कर कहा ह । इसी लिए बावजूद चेयरमैन के प्रार्थना करने पर उन्होंने चाहा कि इस बारे में जरूर गिनती की जाय और डिविजन हो, हालांकि वे सिर्फ नौ माननीय सदस्य थे ।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं—कौन नहीं जानता—कि जब से श्री एस० के० पाटिल मंत्री बने हैं, उन्होंने एक रुपया सात आने के बजाये एक रुपया दस आने फ़ी मन के दाम गन्ने के किसान को दिलाये । गन्ने की तरक्की के लिए और किसान के फ़ायदे के लिए उन्होंने सेस को कम किया । अगर किसान के फ़ायदे के लिए आज वह यह समझते हैं कि इस बिल को पास किया जाये और यह कदम उठाया जाये, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान उन की सलाह को मानेगा और इस बात का उन के दिल में ख्याल रहेगा । जसा कि उन्होंने कहा है, वह अपने हाथ में अख्तियार रख रहे हैं ।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक शुगर कोआपरेटिव फ़ैक्टरीज का सम्बन्ध है, उन पर गन्ने पेलने की कटौती न लगाई जाये । इसी तरह से वाटरलागडज एरिया में, खास तौर पर पंजाब के वाटरलागड एरिया में, जहां गन्ने के सिवाये कुछ पैदा नहीं हो सकता, वहां जो कारखाने चलते हैं वहां भी कटौती न लगाई जाये ।

मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान के गन्ने को वह बचायेंगे और किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे ।

Shri S. L. Saksena: Sir, I am sorry that the hon. Minister has not answered the real question. He has admitted that there will be sizable surpluses of sugarcane. But what is he going to do with it? The mills are starting one month late this year. How will they be crushed now? Unless he forces the mills to crush cane in the month of June, they will not be able to do it. Or, he has to give incentives. Can he give an assurance to the House that the price will not be reduced and all the cane will be crushed at the price. After the elections, the millowners will crush only if there is a price reduction. I want him to promise that the price will not be reduced and the standing cane will be crushed at the present prices.

The gur crushed will be some 12 crores of maunds; if the extra is also taken into account it will be 17 crores. If the quantity of *gur* produced becomes such a large quantity, the price of gur will crash and it will come down to Rs. 9 or Rs. 10 per maund. Therefore, he has done nothing to protect the price of gur; he has only done it with respect to sugar.

Thirdly, the Minister has not promised to the House that khandsari

will be taken away from the purview of the excise duty. As I have told the House many times in the past, khandsari and gur are the safety-valves of the sugar industry. If you destroy them, you will destroy this industry. You have destroyed the khandsari and gur industry in the past few years with excise duty. The result is that you are faced with surplus sugar now. Therefore, the Minister must promise to the House that he will remove the excise duty on khandsari.

Mr. Speaker: The hon. Minister.

Shri S. K. Patil: I have nothing more to add to what I have already said.

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

14.51 hrs.

MOTION *RE*: ANNUAL REPORT OF INDIAN REFINERIES LIMITED

Mr. Speaker: The House will now take up the motion in respect of the Annual Report of the Indian Refineries Limited. Shri P. G. Deb,— absent. Shri D. C. Sharma.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

> "That this House takes note of the Annual Report of the Indian Refineries Limited for the year 1959-60 and the Review by the Government of the working of the Company, laid on the Table of the House on the 10th March, 1961.".

I rise to initiate the discussion on this motion with a mixed feeling. I think there is no citizen of India at this time who does not have some idea of the oil map in this country. This map has been expanding in extent and also in depth. This map has been under study and scrutiny not only by the Members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha but also by the people at large. They have all been very watchful of the activities of this Ministry. I believe that we are becoming more and more oil-minded in this country and the kind of indirect education that has been going on all these years has made us very sensitive to the policies dealing with oil, oil refineries and oil prices.

There is one thing which sometimes the people are not able to understand. The Ministry does not give an up-to-date picture either of the oil prospecting in this country or of oil refining in this country or of oil distribution in this country. The information that is doled out to us comes to us in driblets and sometimes it becomes very difficult for anyone of us to form a clear and coherent picture.

14.52 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Assam is always with us. Gujarat is also sometimes with us. The Punjab is very often not with us. Rajasthan has become a part of the news. I want to put one question to the hon. Minister. Some time back he said that he was going to have Russian collaboration for oil prospecting in Ladakh. What has happened to it? I want to ask him as to what has happened to his promise of prospecting oil in the Andamans. What has he been doing so far as prospecting of oil in other parts of India is concerned? I must say that in the matter of oil prospecting, if there is one State in India which has received a step-motherly treatment at the hands of this Ministry, it is the State of Punjab.

Shri A. M. Tariq: What about Kashmir?

Shri D. C. Sharma: I think I will add Jammu and Kashmir to that. When I look at the Punjab, I find that